म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स,किसान भवन,भोपाल

क्र./मंडी बोर्ड/आई.टी.सेल/2025-26/ 22 भोपाल, दिनांक 29 /04/2025

प्रति

1. संयुक्त संचालक
   म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
   आंचलिक कार्यालय (समस्त)
2. सचिव
   कृषि उपज मंडी समिति (समस्त)

विषय :- एम.पी. फार्मगेट एप के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

---00---

म.प्र. शासन की मंशा अनुरूप मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा "एम.पी. फार्मगेट एप" का विकास किया गया है। एम.पी. फार्मगेट एप के माध्यम से कृषक अपनी उपज का सही मूल्य प्राप्त करने एवं अपनी सुविधा अनुसार उपज को अपने घर/खलियान/गोदाम से विक्रय करने में सफल रहा है, इस प्रकार यह किसान सशक्तिकरण का एक माध्यम बना है।

एमपी फार्म गेट एप के प्रवर्तन का मुख्य उद्देश्य किसानों को सहूलियत तथा सुविधा प्रदान करना रहा है। ऐसी सूचनाएं प्राप्त हो रही है कि, कतिपय मंडी समितियों द्वारा एमपी फार्म गेट एप का गलत उपयोग किया जाकर मंडी प्रांगण की विपणन की कार्यवाही फार्म गेट एप के माध्यम से की जा रही है। जो कि अत्यंत आपति जनक है। मंडी प्रांगण में सम्पूर्ण विपणन की कार्यवाही ई-मंडी योजना अंतर्गत किया जाना है ना कि फार्म गेट एप द्वारा। एमपी फार्म गेट एप का उपयोग एप की अवधारणा अंतर्गत कृषक के घर/खलियान/गोदाम से कृषक के दाम पर कृषक की सुविधानुसार उपज को विक्रय किये जाने की है।

अतः पत्र जारी कर निर्देशित किया जाता है कि एमपी फार्म गेट एप का उपयोग मध्य प्रदेश शासन की मंशा अनुरूप करें। किसान अपने मोबाइल से, अपने घर/खलियान/गोदाम से तथा अपने दाम पर अपनी उपज को विक्रय कर सके, ऐसी व्यवस्था आप सभी अपने-अपने मंडी क्षेत्रों में करना सुनिश्चित करेंगें।

(कुमार पुरुषोतम)
आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्र./मंडी बोर्ड/आई.टी.सेल/2025-26/ 23 भोपाल, दिनांक 29 /04/2025

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निज सहायक, प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
2. संयुक्त संचालक (नियमन), म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
3. श्री मुशर्रफ़ सुल्तान, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. भोपाल।
4. चीफ प्रोग्रामर, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।

आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल